

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
व्हिसलब्लोअर पॉलिसी

विषयवस्तु

I. परिचय	2
II. उद्देश्य	2
III. दायरा	2
IV. परिभाषाएं	2
V. अयोग्यताएं	3
VI. प्रक्रिया	4
VII. जांच और जांचकर्ताओं की भूमिका.....	4
VIII. निर्णय.....	5
IX. रिपोर्टिंग.....	6
X. सुरक्षा.....	6
XI. गोपनीयता.....	6
XII. दस्तावेजों को रखना.....	6
XIII. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना ("यूपीएसआई") लीक होने की स्थिति में व्हिसलब्लोइंग	7
XVI. समीक्षा	7
XVII. संस्करण का नियंत्रण	7

I. परिचय

कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके आगे "अधिनियम") की धारा 177 की उप-धारा 9 और कंपनी (बोर्ड की मीटिंग और उसकी पावर) नियम, 2014 (इसके बाद "नियम") का नियम 7 यह आदेश देता है कि सभी लिस्टेड कंपनियाँ एक विजिल मैकेनिज़म बनाएँगी ताकि उनके निदेशक और कर्मचारी किसी भी गलत व्यवहार या गलत काम की रिपोर्ट कर सकें। इसके अलावा, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन और खुलासे रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 (इसके बाद "एलओडीआर विनियम") का विनियम 22 यह आदेश देता है कि सभी लिस्टेड कंपनियाँ कंपनी के स्टोकहोल्डर्स (जिसमें निदेशक, कर्मचारी, इन्वेस्टर, सप्लायर और कस्टमर शामिल हैं) के लिए "व्हिसलब्लोअर पॉलिसी" (इसके बाद "पॉलिसी") बनाएँ ताकि वे गलत व्यवहार, असल या शक वाले फ़ॉंड या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में चिंताएं रिपोर्ट कर सकें।

इस प्रकार, यह पॉलिसी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों (इसके बाद "जीपीआईएल" या "कंपनी") पर लागू प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों के अनुपालन में तैयार की गई है।

II. उद्देश्य

इस पॉलिसी का उद्देश्य कंपनी में गंभीर गड़बड़ियों के बारे में किसी भी चिंता को उठाने के लिए सिस्टमैटिक और फॉर्मल प्रक्रिया को मजबूत करना है; और व्हिसलब्लोअर की पहचान की सुरक्षा करते हुए, इसे असरदार और सही तरीके से सुलझाने के लिए ज़रूरी कदम उठाना है।

यह पॉलिसी जीपीआईएल के प्रोफेशनलिज़म, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के सबसे ऊंचे मानक अपनाकर अपने बिज़नेस और काम करने की के प्रतिबद्धता को दिखाती है। कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित और नैतिक वर्किंग कल्चर देने के लिए कमिटेड है।

III. दायरा

यह पॉलिसी जीपीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। यह जीपीआईएल के स्टोकहोल्डर्स पर भी लागू होती है।

IV. परिभाषाएं

इस पॉलिसी में इस्तेमाल किए गए कुछ खास शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

"ऑडिट कमेटी" का मतलब है कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के धारा 177 के अनुसार और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ बनाई गई ऑडिट कमेटी।

"सक्षम प्राधिकारी" का मतलब है कंपनी का चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसमें वह व्यक्ति शामिल होगा जिसे वह समय-समय पर इस पॉलिसी के तहत अपनी कोई भी पावर देता है।

"कर्मचारी" का मतलब है कंपनी का हर कर्मचारी (चाहे वह भारत में काम कर रहा हो या विदेश में), जिसमें कंपनी में काम करने वाले निदेशक भी शामिल हैं।

"जांचकर्ताओं" का मतलब है वे लोग जिन्हें सुरक्षित खुलासे की जांच में मदद के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अधिकृत, नियुक्त किया, सलाह ली या जिनसे संपर्क किया है और इसमें कंपनी के ऑडिटर और पुलिस शामिल हैं।

"सुरक्षित खुलासे" का मतलब है अच्छी नीयत से किया गया कोई भी कम्युनिकेशन जो ऐसी जानकारी बताता या दिखाता है जो अनैतिक या गलत गतिविधि का सबूत हो सकती है।

"व्यक्ति" का मतलब है कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का गुप जिसके खिलाफ या जिसके संबंध में सुरक्षित खुलासे किया गया हो या जांच के दौरान सबूत इकट्ठा किए गए हों।

"अनैतिक या गलत गतिविधि" में ये शामिल हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं:-

क. अधिकार का गलत इस्तेमाल

ख. कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना

ग. कंपनी के डेटा/रिकॉर्ड में हेरफेर

घ. कोई भी गैर-कानूनी काम, चाहे वह क्रिमिनल/सिविल हो

ङ. जानबूझकर की गई वित्तीय गड़बड़ियां, जिसमें धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी शामिल है

च. बड़ी या जानबूझकर की गई लापरवाही जिससे सेहत, सुरक्षा और पर्यावरण को बड़ा और खास खतरा हो

छ. बिज़नेस पार्टनर/कर्मचारी या कमज़ोर वयस्कों के साथ गलत व्यवहार (जैसे शारीरिक, यौन, मानसिक या वित्तीय शोषण, शोषण के ज़रिए)

ज. कंपनी के फंड/एसेट्स की बर्बादी/गलत का गलत इस्तेमाल

झ. कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन

ञ. गोपनीय/सही जानकारी की चोरी

"व्हिसलब्लोअर" वह व्यक्ति है जो इस पॉलिसी के तहत सुरक्षित खुलासे करता है।

V. अयोग्यताएं

क. हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि असली व्हिसलब्लोअर को यहां उल्लिखित किसी भी तरह के गलत व्यवहार से पूरी सुरक्षा दी जाए, किंतु इस सुरक्षा का गलत इस्तेमाल करने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

ख. इस पॉलिसी के तहत सुरक्षा का मतलब यह नहीं होगा कि व्हिसलब्लोअर के झूठे आरोपों के कारण होने वाली अनुशासनिक कार्रवाई से सुरक्षा मिलेगी, यह जानते हुए कि वे झूठे हैं या गलत इरादे से लगाए गए हैं।

ग. व्हिसलब्लोअर, जो कोई सुरक्षित खुलासे करते हैं, जो बाद में गलत इरादे या गलत इरादे से किए गए पाए जाते हैं या व्हिसलब्लोअर जो 3 या उससे ज़्यादा सुरक्षित खुलासे करते हैं जो बाद में बेकार, बेबुनियाद या अच्छी नीयत के अलावा रिपोर्ट किए गए पाए जाते हैं, उन्हें इस पॉलिसी के तहत आगे सुरक्षित खुलासे की रिपोर्ट करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

VI. प्रक्रिया

किसी व्यक्ति द्वारा किया गया सुरक्षित खुलासा कंपनी या किसी सहायक कंपनी से जुड़े मामलों या कंपनी पर लागू किसी भी कानून के तहत ज़रूरी किसी भी दूसरे मामले से जुड़ा हो सकता है। सभी सुरक्षित खुलासों की जानकारी व्हिसलब्लोअर को जल्द से जल्द लिखकर देनी होगी, उसके बारे में पता चलने के 30 दिनों के अंदर नहीं; सुरक्षित खुलासे या तो टाइप किए जाएंगे या अंग्रेजी या हिंदी में, या व्हिसलब्लोअर के काम करने की जगह की क्षेत्रीय भाषा में आसानी से समझ में आने वाली लिखावट में लिखे जाएंगे।

नियम के अनुसार, बिना नाम बताए किए गए खुलासे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सुरक्षित खुलासे को व्हिसलब्लोअर के साइन किए हुए कवरिंग लेटर के साथ एक बंद और सुरक्षित लिफ़ाफ़े में जमा करना होगा और उस पर “व्हिसलब्लोअर पॉलिसी के तहत सुरक्षित खुलासे” लिखा होगा, या ईमेल से “व्हिसलब्लोअर पॉलिसी के तहत सुरक्षित खुलासे” व्यक्ति के साथ भेजा जाएगा। अगर शिकायत ऊपर उल्लिखित तरीके से नहीं लिखी और बंद नहीं की जाती है, तो इस पॉलिसी के तहत व्हिसलब्लोअर को सुरक्षा देना संभव नहीं होगा।

सभी सुरक्षित खुलासे कंपनी के सक्षम प्राधिकारी या खास मामलों में ऑडिट कमिटी के अध्यक्ष को भेजे जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:-

नाम और पता	चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओमैक्स स्क्वायर, प्लॉट नं. 14, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला नई दिल्ली- 110025
ईमेल आईडी	ceo@godfreyphillips.co.in

सक्षम प्राधिकारी कवरिंग लेटर को अलग कर देगा और जांचकर्ता को जांच के लिए सिर्फ सुरक्षित खुलासे भेजेगा।

VII. जांच और जांचकर्ताओं की भूमिका

- क. व्हिसलब्लोअर द्वारा उठाई गई चिंता के नेचर के आधार पर, उठाए गए मामले की अंदरूनी जांच की जा सकती है या किसी बाहरी (थर्ड-पार्टी) जांचकर्ता को भेजा जा सकता है।
- ख. अगर कंपनी शिकायतों या शिकायत प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को संभालने के लिए किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो थर्ड पार्टी इन पॉलिसी और प्रक्रिया का पालन करेगी।
- ग. सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया जांच करने का फैसला अपने आप में कोई आरोप नहीं है और इसे एक तटस्थ तथ्य-खोजी प्रक्रिया माना जाएगा। जांच का नतीजा व्हिसलब्लोअर के इस नतीजे को साबित नहीं कर सकता कि कोई गलत या अनैतिक काम किया गया था।
- घ. व्यक्ति को आम तौर पर फॉर्मल जांच की शुरुआत में आरोपों के बारे में बताया जाएगा और जांच के दौरान उन्हें अपने इनपुट देने के मौके मिलेंगे।

- ड. व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह जांच के दौरान सक्षम प्राधिकारी या किसी भी जांचकर्ता के साथ इस हद तक सहयोग करे कि ऐसे सहयोग से लागू कानूनों के तहत मौजूद स्वयं-अपराध सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
- च. व्यक्ति को जांचकर्ता और/या ऑडिट कमिटी के सदस्य और/या व्हिसलब्लोअर के अलावा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से मशविरा करने का अधिकार है। व्यक्ति किसी भी समय जांच प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने के लिए अपने खर्च पर वकील की सेवा लेने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि, अगर व्यक्ति के खिलाफ आरोप टिकने लायक नहीं हैं, तो कंपनी ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति कर सकती है।
- छ. व्यक्ति को जांच के नतीजे के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है।
- ज. सामान्यतः जांच 45 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी, और अगर कोई अंतर है, तो जांच रिपोर्ट में उसका औचित्य दिया जाएगा।

जांचकर्ता का रोल इस तरह होगा:

- क. जांचकर्ता को तथ्य-खोज और विश्लेषण के लिए प्रक्रिया अपनाना ज़रूरी है।
- ख. सभी जांचकर्ता असल में और जैसा समझा जाता है, दोनों ही तरह से स्वतंत्र और भेदभाव रहित होंगे।
- ग. जांचकर्ता का कर्तव्य है कि वे निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, पूरी तरह से, नैतिक व्यवहार और कानूनी और प्रोफेशनल मानकों का पालन करें।
- घ. जांच तभी शुरू की जाएगी जब सक्षम प्राधिकारी शुरुआती समीक्षा करेगा।
- ड. जांचकर्ता हर समय पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखेंगे।
- च. जांचकर्ता जांच का नतीजा निकालेंगे और सही कार्रवाई करने की सलाह देंगे।
- छ. जांच प्रक्रिया के दौरान जांचकर्ता के बीच किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में, फैसला बहुमत आधार पर लिया जाएगा।
- ज. जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को जमा करेंगे।

VIII. निर्णय

अगर किसी जांच से यह नतीजा निकलता है कि कोई गलत या अनैतिक काम किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी कंपनी के प्रबंधन को लागू सर्विस रूल के तहत अनुशासनिक या सुधारात्मक कार्रवाई करने या कानूनी के तहत कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करेगा।

इस पॉलिसी के तहत जांच के नतीजों के नतीजे में व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई कोई भी अनुशासनिक या सुधारात्मक कार्रवाई, लागू कर्मचारियों या स्टाफ और अनुशासनिक प्रक्रियाओं पर लागू होगी।

अगर सक्षम प्राधिकारी की राय है कि जांच से पता चलता है कि सुरक्षित खुलासे पर आगे कोई कार्रवाई ज़रूरी नहीं है, तो वह इसे लिखकर रिकॉर्ड करेगा।

IX. रिपोर्टिंग

पॉलिसी के तहत मिली शिकायतों की संख्या, की गई जांच और उनके नतीजों के साथ एक तिमाही रिपोर्ट ऑडिट कमिटी के सामने रखी जाएगी।

ऑडिट कमिटी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या फैसले की समीक्षा करने का अधिकार होगा।

X. सुरक्षा

इस पॉलिसी के तहत सुरक्षित खुलासे की रिपोर्ट करने की वजह से व्हिसलब्लोअर के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी, अपनी पॉलिसी के तौर पर, व्हिसलब्लोअर के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव, परेशानी, उत्पीड़न या किसी भी दूसरे गलत काम के तरीके की निंदा करती है।

कंपनी उन मुश्किलों को कम करने के लिए कदम उठाएगी, जो व्हिसलब्लोअर को सुरक्षित खुलासे करने की वजह से हो सकती हैं।

व्हिसलब्लोअर की पहचान कानून के तहत जितना हो सके और जिसकी इजाज़त हो, गोपनीय रखी जाएगी।

इस जांच में मदद करने वाले किसी भी दूसरे कर्मचारी को भी व्हिसलब्लोअर की तरह ही सुरक्षित रखा जाएगा।

XI. गोपनीयता

इस पॉलिसी के तहत उठाई गई सभी चिंताओं और मुद्दों को गोपनीय तरीके से रखा जाएगा, सिवाय उस हद तक जब तक पूरी, निष्पक्ष और असरदार जांच करने के लिए ज़रूरी न हो। अगर कर्मचारी अनुरोध करता है, तो कंपनी सही समीक्षा करने की ज़रूरत के हिसाब से, कर्मचारी की गोपनीयता और गुमनामी को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। सभी मामलों में, व्हिसलब्लोअर की पहचान कानून के तहत जितना हो सके और जिसकी इजाज़त हो, उसे गोपनीय रखा जाएगा।

व्हिसलब्लोअर, व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी, ऑडिट कमिटी के सदस्य, जांचकर्ता और प्रक्रिया में शामिल सभी लोग मामले को पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखेंगे।

अगर कोई ऊपर बताई गई बातों का पालन नहीं करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी जो सही समझी जाए।

XII. दस्तावेजों को रखना

सभी लिखित या डॉक्यूमेंटेड सुरक्षित खुलासे, उनसे जुड़ी जांच के नतीजों के साथ, कंपनी द्वारा कम से कम 5 (पांच) साल तक रखे जाएंगे।

XIII. अप्रकाशित प्राइस सेंसिटिव जानकारी (“यूपीएसआई”) लीक होने पर व्हिसलब्लोइंग

यूपीएसआई लीक होने का कोई भी मामला व्हिसलब्लोअर के सीधे अनुभव के आधार पर होगा। यह किसी सेकेंडरी, अविश्वसनीय स्रोत जैसे अफवाह या किसी और तरह की इनफॉर्मल बातचीत पर आधारित नहीं होगा।

व्हिसलब्लोअर अपनी ईमेल आईडी पर ईमेल से यूपीएसआई लीक होने की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को कर सकता है, जिसमें विषय लाइन “यूपीएसआई का लीक” हो।

रिपोर्टिंग के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी जांच करने से पहले रिपोर्टिंग के असली होने की जांच करेगा।

यूपीएसआई लीक होने की रिपोर्टिंग के असली होने का पता लगने पर, सक्षम प्राधिकारी पॉलिसी के तहत जांच के लिए तय प्रक्रिया का पालन करेगा।

XIV. प्रशिक्षण और जागरूकता

कंपनी सभी कर्मचारियों को व्हिसलब्लोइंग मैकेनिज्म के इस्तेमाल पर नियमित प्रशिक्षण देगी, जिसमें रिपोर्टिंग प्रक्रिया, उपलब्ध सुरक्षा और गोपनीयता की ज़रूरतें शामिल हैं।

XV. पॉलिसी का कम्युनिकेशन

पॉलिसी कॉर्पोरेट वेबसाइट www.godfreyphillips.co.in पर उपलब्ध होगी।

XVI. समीक्षा

बोर्ड द्वारा कंपनी सेक्रेटरी के माध्यम से पॉलिसी की समीक्षा तब की जाएगी जब उसे ज़रूरी लगे या अधिनियम, एलओडीआर विनियम में किए गए संशोधन या उसके तहत बनाए गए किसी दूसरे कानून, नियम और विनियम के लागू होने के हिसाब से हो।

ऊपर दी गई पॉलिसी की असली कॉपी है जिसे बोर्ड ने शुरू में मंजूरी दी थी और फिर समय-समय पर इसमें बदलाव किया गया।

XVII. संस्करण का नियंत्रण

संस्करण	बदलाव का विवरण	तारीख
1.1	पॉलिसी अब अधिक कवरेज और उद्देश्य के साथ व्यापक है	27/05/2023
1.2	ईमेल आईडी और वेबसाइट URL अपडेट किया गया।	11/11/2024
1.3	शिकायत करने वाले की पहचान छिपाना; थर्ड-पार्टी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म; प्रशिक्षण और जागरूकता	15/01/2026